UPJL050006552022

Presented on : 05-12-2022
Registered on : 05-12-2022
Decided on : --
Duration :

IN THE COURT OF
Civil Judge (S.D) AT ,Jalaun
Presided Over by Sri Rajeev Saran

Original Suit/399/2022

न्यायालय–सिविल जज (सी0डि0), जालौन स्थान उरई।
मूलवाद संख्या–399/2022
सन्दीप विश्वकर्मा बनाम याकूब मिस्त्री।
CNRNo-UPJL050006552022
J.O.Code No.-UP-1861

दिनांकः 07.10.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। वाद बिन्दु संख्या 03 व 04 पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–03 व 04

वाद बिन्दु संख्या 03 व 04 इस आशय के विरचित किये गये हैं कि–

3. क्या दावा वादी का वाद अल्पमूल्यांकित है?

4. क्या दावा वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उक्त वाद बिन्दु संख्या 03 व 04 एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए इनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

इन वाद बिन्दुओं को को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है।

प्रतिवादी की ओर से वादी द्वारा किए गए दावे के मूल्यांकन एवं प्रदत्त न्यायशुल्क को अपर्याप्त कहते हुए अस्वीकार किया गया है।

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध वाफार्म आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद योजित किया गया है और उक्त अनुतोष हेतु दावा का मूल्यांकन मुव0–6,00,000/–रूपये करते हुए वांछित न्यायशुल्क कुल मुव0–1000/–रूपये अदा किया गया है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई ठोस सारभूत साक्ष्य दावे के अल्पमूल्यांकन होने व प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त होने के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः दावा सही मूल्यांकित है तथा अनुतोष के अनुक्रम में पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। इस प्रकार वाद बिन्दु संख्या 03 व 04 नकारात्मक रूप से निर्णीत किए जाने योग्य है।

आदेश

वाद बिन्दु संख्या 03 व 04 नकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाते हैं।

Digitally signed by RAJEEV SARAN
Date: 2023.10.09 10:14:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 6ग2/साक्ष्य वादी दिनांक 10.11.2023 को पेश हो।

दिनांक–07.10.2023

(**राजीव सरन**)
सिविल जज(सी0डि0),
जालौन स्थान उरई।